उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 412/2006

बबलू @ उदय

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

आदेश : 27.07.2006 को नियत करें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

27.07.2006

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

समक्ष माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

दांडिक अपील संख्या 412/2006

बबलू @ उदय

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अवध त्रिपाठी।

श्री एम.पी.एस. भाटिया, राज्य के विद्वान पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(27 जुलाई 2006 को दिया गया)

श्री सी.एल.पटेल, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), कोरबा ने विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 08/2005 में अपीलार्थी बबलू उर्फ उदय को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 (1) के तहत तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 (1) (xii) के तहत भी दोषी ठहराया है। अपीलकर्ता को धारा 363 भादवि के तहत तीन साल के सश्रम कारावास और 500 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न देने पर तीन महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 366 भादवि के तहत पांच साल के सश्रम कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना और न देने पर छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 376 (1) भादवि के तहत दस साल का सश्रम कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना और न देने पर एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास और अधिनियम की धारा 3 (1) (xii) के तहत पांच साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना और न देने पर छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया। इसलिए, यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि 27.11.2004 को सुबह लगभग 6 बजे अभियोक्त्री अ.सा. 2, उम्र लगभग 17 वर्ष, स्कूल जाने के लिए यमुना विहार, एन.टी.पी.सी. जमनीपाली में अपने घर से निकली।

हालांकि, सुबह 9.30 बजे तक स्कूल में उपस्थित रहने के बाद वह स्कूल से चली गई। उसका स्कूल बैग उसकी सहपाठी ने सुबह 11.30 बजे शिक्षिका श्रीमती मैरी टिग्गा अ.सा. 4 के पास ले जाकर दिया, जिन्होंने अभियोक्त्री के पिता एस. टोप्पो अ.सा. 1 को बताया कि उनकी बेटी स्कूल से चली गई है। इस पर, अपनी बेटी की खोज में असफल होने पर। के एस. टोप्पो अ.सा. 1 ने 27.11.2004 को रात 11 बजे थाना दर्री में प्रदर्श 11 (सी) के तहत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ दिनों के बाद, 2.12.2004 को अभियोक्त्री ने मुन्नवर शेख अ.सा. 5 के एस.टी.डी. बूथ से टेलीफोन द्वारा अपने निवास पर फोन किया। अभियोक्त्री के चाचा बी. टोप्पो अ.सा.3 ने कॉल उठाया और अभियोक्त्री से उसके ठिकाने के बारे में पूछा। अभियोक्त्री ने उन्हें बताया कि वह बिहार के पटना में है। घर लौटने या अपना पता बताने के लिए कहने पर, अभियोक्त्री ने उन्हें बताया कि वह स्वयं लौट आएगी। चूंकि बिलासपुर में अभियोक्त्री के निवास के टेलीफोन में कॉलर आईडी थी, बी. टोप्पो ने उस नंबर पर कॉल किया और पता चला कि कॉल बिलासपुर के एस.टी.डी. पी.सी.ओ. केंद्र से किया गया था। इससे पहले जब अभियोक्त्री कॉल कर रही थी, मुन्नवर शेख अ,सा. 5 ने अभियोक्त्री को यह कहते हुए सुना कि वह बिहार से कॉल कर रही है, जिससे उसका संदेह हुआ। उसने देखा कि एस.टी.डी. पी.सी.ओ. के अंदर एक लड़की एक लड़के के साथ बैठी थी। और बीरबल चौहान से लड़की का पीछा करने और यह पता लगाने को कहा कि वह कहां गई। बीरबल चौहान अ.सा.6 ने अपीलकर्ता और अभियोक्त्री का पीछा किया और उन्हें लावर गांव में एक घर में घुसते हुए देखा और एस.टी.डी.पी.सी.ओ. में वापस आ गया और मुन्नवर शेख अ.सा. 5 को तदनुसार सूचित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इस बीच, बी. टोप्पो अ.सा. 3 ने पुलिस को फोन पर सूचना दी, जिसने एस.टी.डी.पी.सी.ओ. से संपर्क किया। मुन्नवर शेख ने पुलिस को बताया कि लड़का और लड़की लावर गांव में हैं। उसी रात यानी 2.12.2004 को अभियोक्त्री और अपीलकर्ता को पुलिस ने सह-आरोपी भागीरथी के घर में पाया, जिसे बरी कर दिया गया है। एस. टोप्पो द्वारा लिखित शिकायत पर प्रदर्श पी. 1, देहाती नालिशी प्रदर्श पी. 1 (ए) द्वारा 2.12.2004 को शाम 6 बजे दर्ज किया गया। 2.12.2004 को रात 11 बजे, अभियोक्त्री को भागीरथी के घर से बरामद किया गया, जहां वह अपीलकर्ता के साथ मौजूद थी। पंचनामा प्र.पी.8 तैयार किया गया। दिनांक 3.12.2004 को दर्री पुलिस थाना में पी. 1 (बी) के तहत एफ. आई.आर. दर्ज की गई।

4. जाति प्रमाण पत्र प्र.पी.4 (ए) जो दर्शाता है कि अभियोक्त्री अनुसूचित जनजाति की है, जब्त कर लिया गया। उसकी अंकसूची प्र.पी.4 (बी) और उसके जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जिसमें उसकी जन्मतिथि

8.10.1987 दिखाई गई है, भी जब्त कर ली गई। अभियोक्त्री को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। डॉ. एस. श्रीवास्तव अ.सा. 13 ने अभियोक्त्री की 4.12.2004 को दोपहर 2.00 बजे परीक्षण किया और पाया कि उसके प्रत्येक जबड़ों में 14 दांत थे। उसके शरीर पर किसी बाहरी चोट का कोई निशान नहीं पाया गया। आंतरिक परीक्षण में पाया गया कि अभियोक्त्री मासिक धर्म से गुजर रही थी जो 29.11.2004 से शुरू हो गया था। उसकी हाइमन बरकरार थी। योनि पर कोई चोट नहीं देखी गई जिसमें एक उंगली प्रवेश कर रही थी अभियोक्त्री की एक सफेद सलवार जिस पर कई लाल भूरे रंग के दाग थे और एक सूती नेवी ब्लू रंग का अंडरवियर जिस पर कई भूरे और सफेद रंग के दाग थे, सील कर दिए गए और रासायनिक विश्लेषण के लिए आरक्षक को सौंप दिए गए। डॉ. एस. श्रीवास्तव अ.सा.13 की राय में, चूंकि अभियोक्त्री की योनिच्छद बरकरार थी और योनि में कोई चोट या फटन नहीं पाया गया था, इसलिए संभोग नहीं किया गया था यानी पूर्ण प्रवेशन नहीं हुआ था। अभियोक्त्री की उम्र की पुष्टि के लिए, उन्होंने एक्स-रे की सलाह दी, हालांकि उनकी राय में, चिकित्सकीय रूप से अभियोक्त्री की उम्र 16 से 17 वर्ष के बीच प्रतीत होती है। यह कहा गया कि अस्थि परीक्षण की जांच के बाद रेडियोलॉजिस्ट द्वारा उम्र के बारे में अंतिम राय दी जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलकर्ता की 3.12.2004 को डॉ. आर. के. दिव्य अ. सा. 12 द्वारा भी जांच की गई, जिन्होंने पाया कि वह संभोग करने में सक्षम था। उसके अंडरवियर पर वीर्य जैसे कोई दाग नहीं थे, जिसे सील करके पुलिस आरक्षक को सौंप दिया गया, साथ ही लिंग के ग्लान्स और एक बाल का लेप भी दिया गया। अभियोक्त्री ने पुलिस को धारा 161 द.प्र.सं. के तहत दिए गए अपने बयान में यह नहीं बताया कि अपीलकर्ता ने कभी भी संभोग किया था। उसके साथ यौन संबंध बनाए। यह बयान प्रदर्श डी. 1 सहायक उपनिरीक्षक के. पी. जायसवाल अ.सा.16 द्वारा दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद, धारा 363, 366, 376 (1) भादवि और अधिनियम की धारा 3 (1) (xii) के तहत चालान पेश किया गया। कटघोरा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को उपार्पित किये जाने पर, तत्कालीन विद्वान सत्र न्यायाधीश, कोरबा श्री आर.एस. शर्मा ने, बिना रिकॉर्ड पर यह दर्शाने के लिए एक कण भी सामग्री मौजूद होने के कि अपीलकर्ता ने 27.11.2004 को कथित अपहरण के बाद किसी भी समय अभियोक्त्री से बलात्कार किया था, धारा 363, 366 और 376 (1) भादवि और साथ ही अधिनियम की धारा 3 (1) (xii) के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप विरचित किया।

6. अपीलकर्ता ने खुद को निर्दोष बताया और बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों का परीक्षण कराया। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों पर भरोसा करते हुए, विद्वान विचारण न्यायाधीश श्री सी.एल. पटेल ने अपीलकर्ता को पैराग्राफ-1 में बताए अनुसार दोषी ठहराया और दंडित किया।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अवध त्रिपाठी ने तर्क दिया है कि अभियोक्त्री की यह गवाही कि अपीलकर्ता ने उसके साथ दो बार लाटा गाँव में और अंत में बिलासपुर में यौन संबंध बनाए थे, डॉ. एस. श्रीवास्तव के पैरा 4.1 और पैरा 5 में चिकित्सकीय साक्ष्य और साथ ही धारा 161 द.प्र.सं. प्रदर्श डी.1 के तहत उसके बयान में लोप से स्पष्ट रूप से नकारा गया था, जिसमें उसने न केवल अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ किसी भी यौन संबंध के बारे में नहीं बताया था बल्कि स्पष्ट रूप से कहा था कि अपीलकर्ता ने उसके साथ कोई "गलत काम" नहीं किया था। यह भी तर्क दिया गया कि इस तथ्य के बावजूद कि डॉ. एस. श्रीवास्तव ने अभियोक्त्री की उम्र की पुष्टि के लिए रेडियोलॉजिकल जांच की सलाह दी थी, फिर भी अभियोक्त्री द्वारा अभियोक्त्री की कोई रेडियोलॉजिकल जांच नहीं कराई गई। यह भी तर्क दिया गया कि जन्म प्रमाण प्रदर्श पी. 4 (सी) को एस. टोप्पो अ.सा.1 से प्रदर्श पी.4 के माध्यम से जब्त किया गया था, जबकि जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी.4 से यह पता नहीं चलता कि ऐसा कोई जन्म प्रमाण पत्र जब्त किया गया था। यह भी बताया गया कि जन्म प्रमाण पत्र में जन्म प्रमाण पत्र का पंजीकरण भी दर्ज है। अभियोक्त्री की जन्म तिथि अर्थात 8.10.1987 का पंजीकरण 11.4.1989 को किया गया था और ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं था, जिससे यह पता चले कि जन्म तिथि 8.10.1987 किस आधार पर दर्ज की गई थी। जन्म प्रमाण पत्र केवल एक फोटोकॉपी था और उसे विधिवत साबित नहीं किया गया था। चूंकि अभियोक्त्री की जन्म तिथि के प्रमाण से संबंधित प्राथमिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा रोक लिए गए थे, इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि अभियोक्त्री घटना की तिथि पर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की थी।

8. यह भी तर्क दिया गया कि अभियोक्त्री द्वारा बिलासपुर में अपने घर पर फोन करके यह बताना कि उसके चाचा बी. टोप्पो अ.सा. 3 द्वारा उसका पता बताने के लिए पूछे जाने पर वह बिहार के पटना में है और खुद घर लौट आएगी, यह दर्शाता है कि अभियोक्त्री बिना किसी दबाव, प्रलोभन या धमकी के स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ गई थी। अभियोक्त्री की गवाही के पैराग्राफ 3 का भी हवाला दिया गया जिसमें अभियोक्त्री ने कहा था कि घर लौटने के दो दिन बाद तक उसने अपनी मां को भी यह नहीं बताया कि अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया है। यह तर्क दिया गया कि अभियोक्त्री की गवाही पूरी तरह से विश्वास करने योग्य नहीं थी और धारा 376 भादवि और अधिनियम की धारा 3 (1) (xii) के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता के दंड को अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यह भी कहा गया कि जिस तरह से अभियोक्त्री, एक वयस्क लड़की जो जाहिर तौर पर 17 साल से अधिक उम्र की है, अपीलकर्ता के साथ कटघोरा के लाटा गांव गई और वहां से बिलासपुर आई, साथ ही जिस तरह से उसने अपने चाचा बी. टोप्पो अ.सा. 3 से टेलीफोन पर बात की, उससे यह संभावना साफ तौर पर खारिज हो गई कि अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री का व्यपहरण या अपहरण किया यौन संबंध बनाने के इरादे से किया था। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोक्त्री की मां का परीक्षण कराने के लिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था। अंत में, यह कहा गया कि डॉ. एस. श्रीवास्तव की गवाही से स्पष्ट रूप से पता चला कि अभियोक्त्री पूरी तरह से वयस्क महिला थी। उसकी योनि बरकरार थी और योनि छिद्र पर कोई चोट नहीं थी। डॉ. एस. श्रीवास्तव द्वारा अपनी गवाही में दी गई राय कि अभियोक्त्री के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ था, अभियोक्त्री की गवाही को स्पष्ट रूप से नकारती है और उसे विश्वास के अयोग्य बनाती है। इन आधारों पर, यह निवेदन किया गया कि दोषसिद्धि और दंड को अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. दूसरी ओर, विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. भाटिया ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया और कहा कि अभियोक्त्री की यह गवाही कि अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ दो बार बलात्कार किया गया था, प्रतिपरीक्षण में पूरी तरह से अखंडनीय था और इसलिए विश्वसनीय थी। यह भी कहा गया कि उसके केस डायरी कथन प्रदर्श डी. 1 में लोप बचाव पक्ष द्वारा सहायक उपनिरीक्षक के. पी. जायसवाल अ.सा. 16 का परीक्षण करके और उस बिंदु पर सहायक उपनिरीक्षक के. पी. जायसवाल अ.सा. 16 का प्रतिपरीक्षण करके साबित नहीं की गई थी। न्यायलयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रदर्श पी.14 की रिपोर्ट कि अभियोक्त्री के अंडरवियर, सलवार और योनि स्लाइड पर वीर्य और मानव शुक्राणुओं की उपस्थिति की पुष्टि हुई थी और साथ ही अपीलकर्ता के अंडरवियर और ग्लान्स लिंग के धब्बे ने अभियोक्त्री की गवाही की पुष्टि की। इसलिए, इन आधारों पर, यह तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो और दोषसिद्धि उचित थी और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

11. प्रतिद्वन्द्वी तर्कों को सुनने के पश्चात मैंने अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर विवाद नहीं किया गया कि अभियोक्त्री अनुसूचित जनजाति वर्ग से थी। इस बात पर भी विवाद नहीं किया गया कि अभियोक्त्री को 2.12.2004 को भागीरथी के घर से बरामद किए जाने के पश्चात भी अभियोक्त्री

द्वारा उसके साथ बलात्कार किए जाने की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। जांच पूरी होने के पश्चात अपीलकर्ता पर धारा 376 भादवि के अंतर्गत अभियोजित नहीं किया गया, अपितु केवल धारा 363 एवं 366 भादवि तथा अधिनियम की धारा 3 (1) (xii) के अंतर्गत अभियोजित किया गया। अभियोक्त्री अ.सा. 2 ने कहा है कि वह अपीलकर्ता के साथ स्कूल जा रही थी, उसे अस्वस्थता महसूस हुई, जिस पर अपीलकर्ता ने उसे घर ले जाने की पेशकश की, लेकिन इसके बजाय वह उसे अपने मित्र के घर लाटा गांव, तहसील कटघोरा ले गया, जहां वे रात भर रुके। कही उसने यह नही बताया कि जब उसे अपीलकर्ता अपने घर ले जाने के बजाय लाटा गांव ले जा रहा था, तब उसने कोई शोर मचाया था। उसने यह नहीं बताया कि उसने अपीलकर्ता के मित्र या पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति से अपीलकर्ता द्वारा अपहरण किए जाने की शिकायत की थी। उसके अनुसार लाटा गांव में अपीलकर्ता ने उसके साथ बल पूर्वक बलात्कार करने का प्रयास किया। इसके बाद उसने कहा कि अगले दिन अपीलकर्ता उसे मोटर साइकिल पर बिलासपुर ले गया। फिर से उसके साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि उसने कोई शोर मचाया या भागने की कोशिश की या किसी को सूचित किया। बिलासपुर में अपीलकर्ता उसे अपने मित्र भागीरथी के घर ले गया जहां अपीलकर्ता ने उसे पीटने और चुप रहने की धमकी दी। उसने कहा कि यहां भी अपीलकर्ता ने उसके साथ दो बार बलपूर्वक बलात्कार करने का प्रयास किया। यह विवादित नहीं है कि अभियोक्त्री को अपीलकर्ता के साथ भागीरथी के घर से 2.12.2004 को गांव लावर से बरामद किया गया था, यानी अभियोक्त्री के अपीलकर्ता के साथ जाने के छठे दिन। पांच दिनों की इस लंबी अवधि के दौरान, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे पता चले कि अभियोक्त्री ने किसी भी तरह से विरोध किया हो या कोई शोर मचाया हो या किसी पड़ोसी को अपीलकर्ता के कृत्य के बारे में सूचित या शिकायत की हो। उसने पैरा 8 में स्वीकार किया कि भागीरथी ने उसके साथ किसी भी तरह से दुर्व्यवहार, धमकी या उत्पीडन नहीं किया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. अपनी गवाही के पैराग्राफ 3 में अभियोक्त्री ने स्वीकार किया कि 2.12.2004 को घर पहुंचने पर उसने अपनी मां को बलात्कार की घटना के बारे में नहीं बताया, बल्कि दो दिन बाद बताया। अगर यह सच होता, तो अभियोक्त्री या कम से कम उसके पिता एस. टोप्पो ने पुलिस में अपनी बेटी के साथ बलात्कार किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई होती। अगर यह सच होता, तो अभियोक्त्री ने पुलिस को धारा 161 द.प्र.सं. के तहत दिए गए अपने बयान में बलात्कार किए जाने की बात कही होती।

13. एस. टोप्पो अ.सा. 1 ने पैराग्राफ 14 में स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री ने उसे अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ किए गए किसी भी बलात्कार के बारे में नहीं बताया। अभियोक्त्री के चाचा बी. टोप्पो अ.सा. 3 की गवाही से भी पता चलता है कि अभियोक्त्री ने उसे बिलासपुर से फोन किया था और यह दिखावा किया था कि वह बिहार के पटना से फोन कर रही है और उसके पूछने पर उसने उससे अपना ठिकाना बताने के लिए कहा था, और कहा था कि वह स्वयं घर लौट आएगी। अभियोक्त्री का यह आचरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियोक्त्री 27.11.2004 को स्वेच्छा से और स्वतंत्र सहमति से अपीलकर्ता के साथ गई थी और कटघोरा के पास लाटा गांव का दौरा किया था और उसके बाद 2.12.2004 तक लावर में भागीरथी के घर पर अपीलकर्ता के साथ रही थी। मुन्नवर शेख अ.सा. 5 की गवाही भी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अपने एस.टी.डी.पी.सी.ओ. केंद्र पर उसने लड़की को यह कहते हुए सुना कि वह बिहार से फोन कर रही है, जिससे संदेह पैदा हुआ। उसकी गवाही किसी भी तरह से यह नहीं दिखाती है कि अभियोक्त्री किसी भी तरह के डर, धमकी या दबाव में थी, क्योंकि अभियोक्त्री अपने चाचा को उपरोक्त फोन करने के बाद अपीलकर्ता के साथ गई थी। बीरबल चौहान अ.सा. 6 की गवाही भी किसी भी तरह से नहीं दिखाती है कि अभियोक्त्री ने किसी भी समय, चाहे एस.टी.डी.पी.सी.ओ. में इससे पता चलता है कि अभियोक्त्री स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ भागीरथी के घर गई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. श्रीमती मैरी टिग्गा अ.सा. 4, उस स्कूल की शिक्षिका जहां अभियोक्त्री पढ़ती थी, ने कहा कि अभियोक्त्री की सहेली सुबह करीब 11.30 बजे उसका स्कूल बैग लेकर आई थी, जिससे पता चलता है कि अभियोक्त्री स्कूल गई थी और अपना स्कूल बैग वहीं छोड़कर अपनी मर्जी से अपीलकर्ता के पास चली गई थी। वह पुलिस के साथ लावर गांव में भागीरथी के घर गई थी, जहां से अभियोक्त्री को बरामद किया गया था। अपनी गवाही के पैराग्राफ 4 में मैरी टिग्गा ने साफ तौर पर कहा है कि पूछे जाने पर अभियोक्त्री ने कहा था कि उसने अपना बैग स्कूल में ही छोड़ दिया था और अपीलकर्ता उदय के साथ चली गई थी। यह भी अभियोक्त्री की अपीलकर्ता के साथ भागने की मर्जी और सहमति का संकेत है।

15. डॉ. एस. श्रीवास्तव अ.सा. 13 चिकित्सा साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि 4.12.2004 को उन्हें अपीलकर्ता के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं मिली। उसकी योनि पूरी तरह सुरक्षित थी। योनि द्वार पर कोई निशान नहीं था, जहाँ केवल एक उंगली ही जा सकती थी। वादी 20.11.2004 से मासिक धर्म में थी। पैराग्राफ 5 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चूँकि योनिच्छद बरकरार था, इसलिए वादी के साथ संभोग नहीं किया गया क्योंकि लिंग योनि में पूरी

तरह से प्रवेशन नहीं कर सका। केवल इसलिए कि उसने कहा कि योनि में लिंग का आंशिक प्रवेशन संभव था, अभियोजन पक्ष के पक्ष में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जहाँ तक एफ.एस.एल. प्रश्न रिपोर्ट प्रदर्श पी. 14 का संबंध है, भागीरथी के घर में 1.12.2004 को मिली दो दिन बाद यानी 4.12.2004 को डॉ. एस. श्रीवास्तव द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की गई और दिनांक 3.12.2004 को अपीलार्थी का परीक्षण डॉ. आर.के. दिव्य की परीक्षा अ.सा. 12 द्वारा की गई। वादी के अंडरवियर, सलवार व अन्य सामान योनि स्लाइड पर वीर्य और मानव शुक्राणुओं की उपस्थिति को अपीलकर्ता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि एफ.एस.एल. रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि दाग सीरोलॉजिकल परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं थे। डॉ. आर.के.दिव्य अ.सा.12 की गवाही कि अपीलकर्ता के अंडरवियर पर वीर्य जैसे कोई दाग नहीं थे, एफ.एस.एल. रिपोर्ट को संदिग्ध बनाती है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, एफ.एस.एल. प्रदर्श पी 14 की रिपोर्ट निर्णायक रूप से यह स्थापित नहीं करती है कि अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अभियोक्त्री की गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है क्योंकि धारा 161 द.प्र.सं. के तहत दर्ज उसका बयान प्रदर्श डी.1 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसने जाँच अधिकारी को बताया था कि अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ कोई यौन संबंध "गलत काम" नहीं किया गया था। धारा 161 द.प्र.सं. के तहत उसके बयान में भाग 'ए से ए' के साथ उसका खंडन किया गया था, जहाँ उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि अपीलकर्ता ने उसके साथ कोई "गलत काम" नहीं किया था। इस प्रकार, उसके केस-डायरी बयान में अपीलकर्ता द्वारा एक से अधिक बार बलात्कार किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण लोप इस तथ्य के मद्देनजर साबित हुई कि केस-डायरी बयान प्रदर्श.डी.1 अभियोजन पक्ष द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज था और अभियोक्त्री की गवाही के दौरान प्रदर्शित किया गया था। सहायक उपनिरीक्षक के.पी.जायसवाल अ.सा.16 ने भी गवाही दी कि उन्होंने अभियोक्त्री द्वारा बताए अनुसार उसका केस डायरी बयान दर्ज किया था। इस दृष्टिकोण से, धारा 161 द.प्र.सं. के तहत बयान में महत्वपूर्ण लोप अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ बलात्कार किए जाने के संबंध में दिए गए बयान उसकी गवाही को पूरी तरह से अविश्वसनीय बना देते हैं।

17. यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री की माँ को गवाह के रूप में न तो उद्धृत किया और न ही उनसे पूछताछ की, जिनके समक्ष अभियोक्त्री ने कथित तौर पर यह बताया था कि अपीलकर्ता ने उनके साथ बलात्कार किया है। इस आधार पर अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाता है। जन्म प्रमाण पत्र प्र.पी. 4(सी) जो कि प्र.पी.4 के अनुसार जाँच के दौरान जब्त नहीं किया गया था। प्र.पी.4 केवल

अभियोक्त्री की अंकसूची की जब्ती का ज्ञापन है, जो कि प्र.पी.4(बी) है। इस प्रकार प्र.पी.4(सी) जो कि केवल एक अप्रमाणित फोटोकॉपी है, एक अत्यधिक संदिग्ध दस्तावेज़ बन जाता है। यह उस आधार को नहीं दर्शाता है जिस पर अभियोक्त्री की जन्मतिथि 11.4.1989 को 8.10.1987 के रूप में दर्ज की गई थी। डॉ. एस. श्रीवास्तव (अ.सा. 13) ने अपनी गवाही के पैराग्राफ 6 में स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने अ अभियोक्त्री को उसकी उम्र निर्धारित करने के लिए एक्स-रे कराने की सलाह दी थी। हालाँकि, ऐसी चिकित्सीय सलाह के बावजूद, अभियोक्त्री की रेडियोलॉजिकल जाँच नहीं की गई, जिसके लिए अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोक्त्री की जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अभियोक्त्री का मूल जन्म प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। डॉ. एस. श्रीवास्तव (अ.सा. 13) की गवाही से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियोक्त्री के प्रत्येक जबड़े पर 14 दाँत मौजूद थे और अभियोक्त्री पहले से ही मासिक धर्म में थी। द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी विकसित हुए थे। जन्म तिथि के प्रमाण और अस्थि परीक्षण से संबंधित प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि घटना की तिथि पर अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपर्युक्त चर्चा से निम्नलिखित तथ्य उभर कर आते हैं:

ए) अभियोक्त्री ने दिनांक 27.11.2004 को अपीलकर्ता के साथ स्वेच्छा से स्कूल छोड़ कर गई।

बी) अभियोक्त्री स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ गई थी कटघोरा के लाटा गांव में रात भर रुकी और उसके बाद अपीलकर्ता के साथ मोटरसाइकिल पर बिलासपुर गयी और वहां भागीरथी के घर पर 2.12.2004 तक रही।

सी) अभियोक्त्री की यह गवाही कि अपीलकर्ता ने उस अवधि के दौरान उसके साथ बलात्कार किया, पूरी तरह से किसी भी तरह से विश्वसनीय नहीं है। यह तथ्य कि वह 29.11.2004 से मासिक धर्म में थी, बलात्कार के उसके संस्करण को भी गलत साबित करता है।

डी) डॉ. एस. श्रीवास्तव के मेडिकल साक्ष्य से भी इस संभावना को खारिज कर दिया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया गया था।

ई) अभियोक्त्री या उसके माता-पिता ने अपीलकर्ता के खिलाफ बलात्कार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, जब अभियोक्त्री को पुलिस ने 2.12.2004 को भागीरथी के घर से बरामद किया था।

एफ) केवल न्यायलयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) के तहत अपीलकर्ता का अपराध निर्णायक रूप से स्थापित नहीं किया गया था।

जी) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और अभियोक्त्री के आचरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह बिना किसी प्रलोभन, दबाव या धमकी के अपनी स्वतंत्र सहमति से अपीलकर्ता के साथ भागी थी और रात में लाटा गांव में तथा तीन-चार दिनों तक बिलासपुर में अपीलकर्ता के साथ रही थी।

एच) इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभियोक्त्री घटना के दिन 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़की थी, क्योंकि दस्तावेज प्र.पी.4 (सी) से संदेह उत्पन्न हुआ, जन्म तिथि के प्रमाण का प्राथमिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा चिकित्सकीय सलाह के बावजूद अस्थि परीक्षण, विवेचना के दौरान नहीं किया गया।

18. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात, मैं इस विचार पर पहुंचा हूं कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 (1) तथा अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (xii) के अंतर्गत अपीलकर्ता का अपराध सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है। विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त अपराधों के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि तथा उसके अंतर्गत दिये गये दण्ड अपास्त किए जाने योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता को धारा 363, 366 और 376 (1) भादवि तथा अधिनियम की धारा 3(1) (xii) के तहत दोषी ठहराया गया तथा विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा उसके तहत दिये गये दण्ड को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को दोषमुक्त किया जाता है तथा यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाए। यदि जुर्माना अदा किया गया है तो उसे वापस किया जाए।

सही/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Advocate Kusumlata

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur